

93



म.प्र. 2712-F-16

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

/2015-16

आवेदक : प्रेमलाल पिता श्री नंदीलाल कोल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्वारीघाट वार्ड, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2014 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार पर प्रस्तुत करता है:-


प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक ग्वारीघाट वार्ड, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।
2. यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा पहरवा, प.ह. नं. 5/76, रा.नि.मं. खितौला, स्थित भूमि ख.नं. 81/9, रकबा 0.405 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम से भूमिस्वामी हक में दर्ज है । आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कंता श्री नीरज पाण्डे पिता श्री राम नारायण पाण्डे को विक्रय करने का अनुबंध बैंक एवं अन्य व्यक्तियों का कर्ज अदायगी एवं परिवार के निवास हेतु मकान निर्माण तथा शेष भूमि को सिंचित बनाने के उद्देश्य से किया गया है । उक्त भूमि अधिस्वित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तथा आवेदक के पास उक्त

श्री. च. र. र. द्वारा आज दि. 12-8-16 प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Debat d. 12/8/16



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2712-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.01.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अना० शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को वापिस लिए जाने का अनुरोध किया। शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उन्हें वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	

32